न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 23/2018 (225 आरटीए) डोली बनाम मंदिर बनाम अन्नाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00112)

डोली बनाम मंदिर श्री रुघनाथजी वाके छापला तहसील भोपालगढ़ जरिए वादमित्र सुगनदास पुत्र श्री मोहनदास, निवासी छापला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 अन्नाराम पुत्र श्री लिछमणराम,

2 खेराजराम पुत्र श्री लिछमणराम के कायम मुकाम

2/1 बाबूराम पुत्र श्री खेराजराम,

2/2 अमराराम पुत्र श्री खेराजराम,

2/3 सोहनराम पुत्र श्री खेराजराम,

2/4 रामलाल पुत्र श्री खेराजराम

3 किशनाराम पुत्र श्री लिछमणराम,

4 धर्माराम पुत्र श्री लिछमणराम समस्त जातियान जाट निवासीगण रजलाणी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

5 भूमिधारी जरिए तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

.... रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ दिनांक 26.05.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 256/2010

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा।

2 रेस्पो सं. 1 स 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह जाखड़।

3 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 256/2010 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 256/2010 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम छापला तहसील भोपालगढ़ की सरहद में खसरा नं. 186 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा खातेदारी का खेत है जो बरवक्त सेटलमेंट से भी पूर्व मंदिर श्री रुघनाथ जी की खातेदारी की भूमि थी। सेटलमेंट के समय भी इस भूमि का पट्टा प्रार्थी मंदिर के नाम से आया। उक्त पट्टे में मंदिर के पुजारी का नाम मोहनदास पुत्र सीताराम जाति साद का नाम इन्द्राज करवा लिया जबकि भूमि मंदिर की खातेदारी की भूमि थी। अप्रार्थीगण जो कि ग्राम रजलाणी के निवासी है उन्होंने मंदिर की भूमि हड़पने की गरज से तत्कालीन पुजारी श्री मोहनदास पुत्र सीताराम को कब्जे में लेकर के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित भूमि का बेचाननामा अपने नाम तकमील करवा करके अपनी इच्छानुसार अप्रार्थी सं. 1 अन्नाराम ने अपने खसरा नं. 186/2 रकबा 5 बीघा, अप्रार्थी सं. 2 खेराजराम ने अपने नाम खसरा नं. 186 रकबा 5 बीघा अप्रार्थी सं. 3 किशनराम ने अपने नाम खसरा नं. 186/1 रकबा 5 बीघा व अप्रार्थी सं. 4 धर्माराम ने अपने नाम खसरा नं. 186/3 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वाद मित्र को ऐलानिया धमकी दी है कि वे इस भूमि का बेचान करने जा रहे हैं। इस पर वाद मित्र ने कहा कि यह भूमि तो मंदिर की खातेदारी की है। तब मालूम चला कि इस भूमि को अप्राथीगण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। अप्रार्थीगण प्रार्थी मंदिर की भूमि को बेचान करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं। अतः भूमि पर रिसीवर कायमी हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया व अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण को जबाब पेश करने के कई अवसर दिए गए लेकिन जबाब पेश नहीं किया अतः जबाब बंद किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212(2) को खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा ने प्रार्थना पत्र धारा–5

मियाद अधिनियम व अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व नहीं थी। अपीलांट जब पेशी पर भोपालगढ़ दिनांक 05.01.2018 को पहुंचा और मामले की जानकारी की तो पता चला कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 26.05.2017 को फैसल किया जा चुका है। इस पर अपीलांट ने नकल के लिए आवेदन किया। तथा नकल प्राप्त होने पर दिनांक 22.02.2018 को जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश कर दी गई। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

अपील की मैरिट पर बहस करते हुए अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में यह भली भांति साबित कर दिया था कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की खातेदारी की भूमि है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तर्क पर कोई गौर नहीं किया। मंदिर की भूमि पर किसी को भी कोई मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तथा मंदिर की खातेदारी की भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायालय की भी है। इस प्रकरण में प्रोपर्टी इन मीडियो है लेकिन इस तर्क को भली भांति नहीं समझकर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212(2) के प्रावधानों को भली भांति नहीं समझ कर भारी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किए जाने योग्य है। अंत में अपीलांट ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो सं. 1 स 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह जाखड़ ने बहस में कथन किया कि पत्रावली कैंप कोर्ट में फैशल हुई थी। अपीलांट के अधिवक्ता को प्रकरण की जानकारी दिनांक 5.5.2017 तक थी। 5.5.2017 के बाद अपीलांट दिनांक 5.1.2018 को पेशी पर पहुंचा बताया है जो विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अपील मियाद बाहर है। माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला चल रहा है जो कि एक तथ्य है। भूमि इनमीडियो नहीं हैं अपीलांट का टाइटल व कब्जा दोनों नहीं हैं। अपीलांट के पिता ने ही रेस्पो को वादग्रस्त भूमि का बेचान किया है। वादग्रस्त भूमि का बंटवारा होकर तरमीम हो चुकी है व अलग बंटा नंबर दर्ज हो गए हैं। ऐसी स्थिति में रिसीवर नियुक्त नहीं हो सकता है। 30 साल से रेस्पोडेंट का कब्जा है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य भी विश्वसनीय नहीं हैं। अतः अपील मैरिट पर एवं मियाद के बिंदु पर खारिज योग्य है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2010(2) आर.आर.टी. 1173 पेश किया।

6 अपीलांट के अधिवक्ता ने पुनः बहस (रिपीटल) में कथन किया कि दिनांक

4/28/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5.5.2017 के बाद पत्रावली में तारीख नहीं दी गई इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। धारा–5 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अपीलांट ने जबाब देकर खण्डन नहीं किया है और कोई काउंटर शपथ पत्र भी नहीं दिया है जबकि अपीलांट ने शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः रेस्पो. की केवल मौखिक बहस से धारा–5 के प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। डोली बनाम मंदिर से संबंधित प्रकरण का अधिकारों व टाइटल के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन हो सकता है। लेकिन स्थगन, रिसीवर आदि के लिए कोई मनाही नहीं हैं। रेस्पो. ने पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश पेश नहीं किया है। इस प्रकरण में मंदिर की सारी भूमि जो मंदिर की थी वह मंदिर के नाम होनी चाहिए। वादग्रस्त भूमि मंदिर की थी जिसका बेचान नहीं हो सकता था अतः गलत बेचान के आधार पर भूमि पर कब्जा नहीं रखा जा सकता इसलिए वादग्रस्त भूमि इन मीडियो है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रार्थना पत्र धारा 212(1)(बी) के तहत है तथा प्रार्थना पत्र में रिसीवर नियुक्ति की ही प्रेयर की गई है। धारा 212 (2) सहवन से अंकित हो गया है। अतः वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 14.09.2014 पेज 553 पेश किया।

7 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मंदिर की है। जिसका बेचान के आधार पर रेस्पोडेंट के नाम खातेदारी देदी गई है जबकि नियमानुसार मंदिर की जमीन की खातेदारी नहीं हो सकती अतः इस प्रकरण में मंदिर की भूमि की सुरक्षा के लिए उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

8 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

9 इस प्रकरण में मंदिर की भूमि खातेदारी में दर्ज हो गई है। पूर्व में ग्राम छापला की मंदिर की भूमि खसरा नं. 468, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 व 503 कुल खसरा नं. 11 रकबा 121 बीघा की खातेदारी मंदिर के नाम थी लेकिन यह पुजारी मोहनदास पुत्र सीताराम के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई थी। राज्य सरकार के आदेश से पुनः पुजारी के नाम को हटाकर उक्त समस्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज होनी थी। लेकिन जमाबंदी संवत 2060–63 के अनुसार डोली बनाम मंदिर श्री रुघनाथ जी सा.देह खातेदार के नाम केवल खसरा नं. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 468 व 503 कुल खसरा 10 रकबा 100 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज हुई है। खसरा नं. 186 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा वापस दर्ज नहीं हुई है। जबकि मंदिर की खातेदारी की भूमि किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

नहीं हो सकती। यदि कोई बेचान हुआ है तो मूर्ति जो साश्वत नाबालिग है की भूमि के विरुद्ध शून्य है तथा प्रकरण में रेस्पोडेंट इस तथ्य को नहीं मान रहा है जिससे टाइटल व कब्जे को लेकर विवाद है। तथा मंदिर की भूमि के खुर्द–बुर्द होने की आशंका है।

बहस के समय रेस्पोडेंट के अधिवक्ता से यह पूछा गया कि खसरा नं. 186 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदारी की है तो अन्य खातेदारी में दर्ज खसरा नंबरान भी वापस मंदिर की खातेदारी में दर्ज हो गए हैं तो यह भूमि मंदिर की क्यों नहीं है। इस पर रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने कहा कि इस भूमि को रेस्पोडेंट ने खरीद कर लिया इसलिए वापस मंदिर के नाम दर्ज नहीं हुई। लेकिन क्या बेचान कर्ता की भूमि स्वयं की खातेदारी की थी या मंदिर की भूमि उसके खाते में दर्ज हो गई। इस पर रेस्पोडेंट के अधिवक्ता वादग्रस्त भूमि का मूल स्रोत खातेदारी का नहीं बता सके जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नामांतरकरण सं. 90 ग्राम छापला तथा जमाबंदी संवत 2060–63 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मूलतः डोली बनाम मंदिर श्री रूघनाथ जी वाके देह खातेदार की थी जिसमें खसरा नं. 186 को छोड़कर बाकी सभी खसरा नं. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 468 व 503 कुल खसरा 10 रकबा 100 बीघा 17 बिस्वा डोली बनाम मंदिर श्री रुघनाथ जी के नाम दर्ज हो चुकी है तथा खसरा नंबर 186 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो मूलतः मंदिर की खातेदारी की है उसे गलत बेचान के आधार पर रेस्पोडेंट अपनी खातेदारी की भूमि बता रहा है। जबकि वह भूमि भी वापस मंदिर के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। राजस्व रिकार्ड में तो दावे के निस्तारण के बाद ही मंदिर के नाम दर्ज की जा सकती है लेकिन इस भूमि पर रेस्पोडेंट का टाइटल व कब्जा कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं। अतः वादग्रस्त भूमि इन मीडियो है। साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न आदेशों के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि मंदिर की भूमि की रक्षा किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 14.09.2014 पेज 553 पूर्णतया चस्पा होती है जिसमें शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षार्थ विचारण न्यायालय के द्वारा रिसीवर नियुक्ति का आदेश पूरी तरह विधि सम्मत माना। नजीर के प्रकरण में भी मंदिर की भूमि खातेदारी में दर्ज हो गई थी व उसका बेचान भी हो गया था उसके बावजूद भी उक्त नजीर के प्रकरण में रिसीवर नियुक्त किया गया। इसके विपरीत रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने नजीर 2010(2) आर.आर.टी. 1173 पेश कर तर्क दिया कि रिसीवर नियुक्त करना एक कठोरतम उपचार है अतः इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना उचित नहीं बताया। लेकिन वादग्रस्त भूमि मूलतः मंदिर की भूमि है निजी खातेदारी में रिसीवर नियुक्त किया जाना कठोरतम उपचार हो सकता है

28/8

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लेकिन मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिस पर रेस्पों. के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर चस्पा नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मंदिर की भूमि को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए तहसीलदार भोपालगढ़ को ग्राम छापला की भूमि खसरा नं. 186 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि का रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित है।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2017 निरस्त किया जाता है। ग्राम छापला तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 186 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि का तहसीलदार भोपालगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को तत्काल कुर्क कर रिसीवर की हैसियत से भूमि का प्रबंधन करें।

28/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर